# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 01/2026 बउनवानी राजेन्द्र सिंह तोमर(राजा भईया) **बनाम तहसीलदार** सवाई माधोपुर
एडवोकेट दिल्ली हाईकोर्ट, कार्यालय आई–26/1, गली न. 10 ब्रहापुरी दिल्ली 110058
GCMS No-2026/1

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 4.2.2026 | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 10.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **होटल अमन ए खास को लेकर 5 बिन्दुओ की प्रमाणित प्रति** " तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।<br><br>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः एफ/आरटीआई/2026/05 दिनांक 21.1.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुंर से होने के कारण तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक/आरटीआई/2026/205–206 दिनांक 16.12.2025 से सूचना उपलब्ध करवाने हेतु नगर विकास न्यास को लिखा गया किन्तु नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त सूचना तहसील कार्यालय सवाईमाधोपुर से बताते हुए जरिये पत्रांक सूकाअ/2026/2414 दिनांक 19.12.205 तहसीलदार सवाईमाधोपुर को लिखा गया। तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अवगत कराया कि कार्यालय मुख्य नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग ,राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांक 1121/एमपी/केटीजेज/सवाईमाधोपुर/2014/दिनांक 28.6.2018 के तहत नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के 38 ग्राम अधिकृत होने के कारण उक्त सूचना का संबंध नगर विकास सवाईमाधोपुर से बतायां गया है। जिसके संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 207 दिनांक 16.12.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करावाया जा चुका है।<br><br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.11.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जबकि तहसीलदार लेण्ड होल्डर होने के कारण वांछित सूचनाऐ तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा ही उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचनाऐ अपीलान्ट को 7 दिवस मे उपलब्ध करवावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।<br><br>(काना राम)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर |

Scanned with OKEN Scanner